

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या - 09/उपा०कीट०अनु०-16/08-

/कृ०, पटना, दिनांक.....मई, 2015.

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स एच०पी०एम० फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०,
206, जगतारणी टावर, जमाल रोड, पटना।

विषय :- कीटनाशी बिक्री-भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 164-165 दिनांक 02.07.2008 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार चालान, एवं सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण सर्वेलेन्स, मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित बिक्री-भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 164-165 दिनांक 02.07.2008 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Acephate 75% S.P	39	Butachlor 5% GR
2	Acetamiprid 20% S.P	40	Lambda cyhalothrin 5% EC
3	Atrazine 50% W.P	41	Propiconazole 25% EC
4	A.N.A- 4.5% SL	42	Butachlor 50% EW
5	Alphamethrin- 10% EC	43	Thiamethoxam 25% WG
6	B.P.M.C.-50% EC	44	Imazethapyr 10% SL
7	Butachlor 50% EC	45	Triaccontanal EW 0.1% Min
8	Cypermethrin 10% EC	46	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP
9	Cypermethrin 25% EC	47	Fipronil 0.3% GR
10	Copper oxy chloride 50% WP	48	Dichlorvos-76% EC
11	Chlorpyrifos 20% EC	49	Ethephon-39% SL
12	Carbofuran 3% CG	50	Ethion 50% EC
13	Carbendazim 50% WP	51	Ethion 40%+Cypermethrin 5% EC
14	Cartap Hydrochloride 4% GR	52	Phorate 10% CG
15	Cartap Hydrochloride 50% SP	53	Thiodicarb 75% WP
16	Captan 50% WP	54	Paraquate Dichloride 24% SL
17	Chlorimuron Ethyl 25% WP	55	Prophenophos 50% EC
18	2,4-D-Ethyl Ester 38% EC	56	Profenophos 40%+Cypermethrin 4%EC
19	Fenvalerate 20% EC	57	Piroxofop-Propanyl-15% WP
20	Fipronil 5% SC	58	Pretilachlor 50% EC
21	Mancozeb 75%WP	59	Pendimethalin 30% EC
22	Glyphosate 41% SL	60	Chlorpyrifos 16%+Alphacypermethrin 1% EC
23	Hexaconazole 5% EC	61	Validamycin 3% L
24	Isoproturon 75% WP	62	Sulphur 40% SC
25	Imidacloprid-70% WG	63	Metsulfuron Methyl 10% + Chlorimuron Ethyl 10% WP
26	Imidacloprid 17.8% SL	64	Tebuconazole 25.9% EC
27	Indoxacarb 14.5% SC	65	Emamectin Benzoate 5% SG
28	Lambda cyhalothrin 2.5% EC	66	Sulfosulfuron 75% WP
29	Monocrotophos 36% SL	67	Gibberelic Acid-0.001% L
30	Metribuzin 70% WP	68	Carbendazim 46.27% SC
31	Metsulfuron Methyl 20% WP	69	Alphacypermethrin 10% SC
32	2,4-D-Sodium Salt 80% WP	70	Ammonium salt of Glyphosate 71% SG
33	2,4-D- Amine Salt 58% SL	71	Methyl Parathion 2% DP
34	Triazophos 40% EC	72	Bifenthrin-10% EC
35	Triaccontanal 0.05% GR	73	Quinalphos 25% EC
36	Tebuconazole 2% DS	74	Hexaconazole 5% SC
37	Tricyclazole 75% WP	75	Sulphur 80% WDG
38	Ziram 27% CS	76	Thiophanate Methyl 70% WP

77	Propargite 57 % EC	81	Buprofezin 25% SC
78	Dimethoate 30% EC	82	Mancozeb 35% SC
79	Chlorpyrifos 50% EC	83	Imidacloprid 30.50% SC
80	Oxyfluorfen 23.5% EC	84	Chlorpyrifos 50%+Cypermethrin 5% EC

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:-मेसर्स एच0पी0एम0 फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि0, H/O-श्री रामेश्वर प्रसाद, S/O-स्व0 द्वारीका प्रसाद, प्रथम तल, प्लॉट नं0-1329, पटना, मसौढ़ी रोड, बड़ी पहाड़ी, थाना-अगमकुआँ, पटना।

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-विदित हो की उक्त प्रतिष्ठान का एक कीटनाशी Deltamethrin 1% AI+Triazophos 35% AI बैच नं0 S-182 विनिर्माण तिथि 09.05.2012 अवसान तिथि 08.05.2014 अमानक होने के कारण कृषि निदेशालय का पत्रांक 284 दिनांक 23.04.2014 के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः इसे नवीकरण की सूची से बाहर कर दिया गया है।

7- नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

8- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-164-165 दिनांक 02.07.2008 मूल रूप से संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

३७६०

/क०, पटना, दिनांक ...1२... मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना